HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17045/2025

Mahendra Singh Shekhawat S/o Shri Bagdawat, Aged About 55 Years, R/o Village Bada Ki Dhani, Police Station Khetri, District Jhunjhunu, At Present Tenant Plot No. C-52, Kanak Vrindavan, Gandhi Path West, Police Station Bindayaka, Jaipur West. (At Present in Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Kumar Sharma, Adv. with Ms. Kamini Pareek, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दं.प्र.सं.), पुलिस थाना बिन्दायका, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 02.10.2025 से अभिरक्षा में है। घटना की रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नही है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के

विचारण में समय लगेगा। सहअभियुक्त गोपाल लाल का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14552/2025 आदेश दिनांक 11.11.2025 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किये जाने का आरोप नहीं लगाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने आरोप पत्र में यह उल्लेखित किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी से किसी प्रकार की प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं की है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, वह दिनांक 02.10.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में 17 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं, विचारण में समय लगेगा।

यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 13 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने बताये गये हैं, परन्तु Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत से रिहा किये जाने पर इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र बगड़ावत** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

यदि भविष्य में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित किया जाता है तो अभियोजन पक्ष प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त जमानत सुविधा को निरस्त करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /29